

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या पी0पी0एम0-41/2012
प्रेषक,

2729

/कृ0, पटना दिनांक 16/7, 2017

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में वर्ष 2016 तक स्नातक में नामांकित छात्रों को स्टार्डिपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2017-18 में कुल 166.00 लाख रुपये (एक करोड़ छियासठ लाख रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 4495 दिनांक: 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 2990 दिनांक: 12.06.2013 एवं कृषि विभागीय संकल्प संख्या- 18 दिनांक 06.01.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में वर्ष 2016 तक स्नातक में नामांकित छात्रों को स्टार्डिपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2017-18 में कुल 166.00 लाख रुपये (एक करोड़ छियासठ लाख रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय के लिए अधियाचित राशि के अनुसार महाविद्यालयवार स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है,

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि (राशि लाख रू० में)			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1.	तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली	73.86	19.86	1.06	94.78
2.	मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली	24.00	3.90	00	27.90
3.	कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा	35.64	7.13	0.55	43.32
	कुल	133.50	30.89	1.61	166.00

3. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 4495 दिनांक: 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 2990 दिनांक: 12.06.2013 द्वारा स्वीकृत स्टार्डिपेंड की अनुमान्यता एवं अन्य

शर्तें यथावत रहेंगी। योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

4. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय से संबंधित बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 277-शिक्षा माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0101- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01-2415012770101, विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	166.00	133.50
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0105- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01-2415017890105, विषय शीर्ष 0105.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	32.00	30.89
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0108- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01-2415017960108, विषय शीर्ष 0108.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	2.00	1.61
कुल	200.00	166.00

5. स्वीकृत राशि 166.00 लाख रुपये (एक करोड़ छियासठ लाख रुपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को उक्त स्वीकृत राशि उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।


6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-42 पर की जायेगी, जिसके साथ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007-2199/वि०, दिनांक 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-41/2012 के पृ०सं०- 99/टि. पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-41/2012 के पृ०सं०- 100/टि. पर दिनांक- 05.07.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक- पी०पी०एम०-41/2012- 2729 /कृ०, पटना दिनांक 10/7/2017

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.7.2018
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक- पी०पी०एम०-41/2012- 2729 /कृ०, पटना दिनांक 10/7/2017

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.7.2018
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक- पी०पी०एम०-41/2012- 2729 /कृ०, पटना दिनांक 10/7/2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.7.2018
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक- पी०पी०एम०-41/2012- 2729 /कृ०, पटना दिनांक 10/7/2017

प्रतिलिपि- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


2.7.2018
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-41/2012- 2729 /कृ०, पटना दिनांक 10/7/2017

प्रतिलिपि:- कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/ नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/प्राचार्य, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा/प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.7.2018
प्रधान सचिव।